



क्रमांक : प.( )/पी.ए.(एच)/विविध /2021/407

दिनांक: 23 जून , 2021

--: परिपत्र :-

इस चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा में निम्नांकित बायोमेडिकल इंजिनियरों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है :-

1. श्री उदयसिंह (8949429520)
2. श्री सुरेश (9907595603)

अतः इस संस्थान के सभी विभागाध्यक्षों/चिकित्सालय अधीक्षकों/स्टोर प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि जब भी बायोमेडिकल इंजिनियरों को सेवा हो तो उनके उक्त अंकित मोबाइल नंबरों पर सम्पर्क स्थापित कर सेवायें प्राप्त की जा सकती हैं। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि विभिन्न उपकरणों/मशीनों के स्थापना/रखरखाव से संबंधित वार्षिक रखरखाव अनुबंध (AMC/CMC) संबंधी इत्यादि कागजात की प्रतियाँ भी इनकी मांग के अनुरूप उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि ये सभी मशीन एवं उपकरणों का व्यवस्थित रखरखाव/मरम्मत इत्यादि कार्य सुनिश्चित करवा सकें।

सभी संलग्न चिकित्सालयों के चिकित्सालय अधीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त बायोमेडिकल इंजिनियरों के कार्य करने/बैठने के लिए प्रत्येक चिकित्सालय में एक एक कमरा आवंटित करें और इसकी सूचना सभी संबंधितों को प्रेषित करें ताकि ये उस स्थान पर अपना कार्य सुचारु रूप से कर सकें।

उक्त बायोमेडिकल इंजिनियर्स अपनी प्रतिदिन की उपस्थिति अधोहस्ताक्षरकर्ता के एमबीएस चिकित्सालय स्थित निजी अनुभाग में दर्ज करेंगे।

(डॉ० विजय सरदाना)  
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक (जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जनता कॉलोनी, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग।
6. जिला कलक्टर, कोटा।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, कोटा।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि., कोटा।
9. अधीक्षक, एमबीएस चिकित्सालय/जेके लोन चिकित्सालय/नवीन चिकित्सालय/ सुपरस्पेशियलिटी चिकित्सालय/रामपुरा जिला चिकित्सालय, कोटा को पालनार्थ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/इकाई प्रमुख द्वारा विभागाध्यक्ष ..... को पालनार्थ।
11. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय भण्डार/वर्कशॉप/..... मेडिकल कॉलेज/एमबीएस चिकित्सालय/जेके लोन चिकित्सालय/नवीन चिकित्सालय/ सुपरस्पेशियलिटी चिकित्सालय/रामपुरा जिला चिकित्सालय, कोटा।
12. नर्सिंग अधीक्षक/वार्ड इंचार्ज द्वारा नर्सिंग अधीक्षक एमबीएस चिकित्सालय/जेके लोन चिकित्सालय/नवीन चिकित्सालय/ सुपरस्पेशियलिटी चिकित्सालय/रामपुरा जिला चिकित्सालय, कोटा को पालनार्थ।
13. अति० निजी सचिव, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
14. संबंधित बायोमेडिकल इंजीनियर्स ..... मेडिकल कॉलेज, कोटा।
15. सामान्य शाखा/स्थापना (राज०)/एकेडमिक शाखा, मेडिकल कॉलेज, कोटा।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक